फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 81/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/85) **श्री ईश्वरदान चारण बनाम श्री मोहनदान चारण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री गोपालदास सनाढ्य - वकील अपीलार्थी 2. श्री सुरेन्द्र मेनारिया - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 **अनवान** **1. श्री ईश्वरदान पिता श्री लक्ष्मणदान चारण, चावण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **1. श्री मोहनदान पिता रूपाजी चारण, चावण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।** **2. श्री भंवरदान पिता जीवादान चारण, चावण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।** **3. श्री शम्भुदान पिता जीवादान चारण, चावण्डिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, बप्रकरण संख्या 56/2022 निर्णय दिनांक 24.09.2022 (अनवान श्री मोहनदान व अन्य बनाम तहसीलदार, रेलमगरा व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 14.02.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा, बप्रकरण संख्या 56/2022 निर्णय दिनांक 24.09.2022 (अनवान श्री मोहनदान व अन्य बनाम तहसीलदार, रेलमगरा व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128, 129, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का धनेरिया तहसील रेलमगरा में स्थित कृषि आराजीयात संख्या 690, 827, 828, 829 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6179 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी विपक्षीगण (जो वर्तमान अपील में पक्षकार संयोजित नहीं है) के साथ सीमा विवाद की स्थिति रहती है। अतः उनके खातेदारी भूमि की मौके पर नपती कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 24.06.2022 को प्रसारित कियाा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के उक्त आदेश दिनांक 24.06.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जा.दी. का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 08.02.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य सीमा विवाद को लेकर एक वाद अन्तर्गत 88 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष विचाराधीन होकर उसके प्रकरण संख्या 74/2023 है, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। उक्त वाद में प्रत्यर्थीगण द्वारा लगातार पेशियां ली जा रही है। यह वाद उक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित आराजी संख्या 690 नये नम्बर जिसके पुराने नम्बर 509 होकर उसके संबंध में उपरोक्त मुकदमना 74/2023 विचाराधीन है। जब विवादित भूमि के वास्तविक कब्जे के संबंध में नियमानुसार कोई विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गई तो उसे पत्थरगढ़ी एवं सीमा ज्ञान हेतु आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही में प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जिससे आक्षेपित आदेश की जानकारी उसे ससमय नहीं हो सकी और जानकारी होते ही यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। हस्तगत प्रकरण से संबंधित आराजीयात के	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 81/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/85) **श्री ईश्वरदान चारण बनाम श्री मोहनदान चारण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बारे में एक वाद अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के न्यायालय में लम्बित है, उक्त वाद की कार्यवाही चलते प्रत्यर्थीगण द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा पारित करा लिया, जिससे अपीलार्थीगण के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है। ऐसे में अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का भी प्रस्तुत किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर पुनः मेरीट्स के आधार पर सुनवाई का अवसर अपीलार्थी को देकर प्रकरण को फैसल करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने बाबत निर्देश जारी कर अपील बहक अपीलार्थी निर्णित किये जाने बाबत आदेश जारी किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2002(1)आरआरटी 184, एआईआर 2023 इलाहबाद 139 एवं 1993 आरआरडी 774 प्रस्तुत किये।

प्रत्यर्थी-1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त निर्णय में विवादित आराजीयात की बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी किये पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये है, जिसमें किसी के हित प्रभावित नहीं होते है। कोई भी खातेदार अपनी भूमि की नपती एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है, जिस हेतु प्रस्तुत कारण असंतोषजनक और अपर्याप्त है। अपीलार्थी को प्रत्येक दिन की देरी के कारणों को स्पष्ट करना होगा, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पत्थरगढ़ी के आदेश से अपीलार्थी के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है, ऐसे में उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील मयाद बाधित होने से, अपीलार्थी के हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से एवं गुणावगुण पर भी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा के निर्णय के विरूद्ध मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही में उसे न तो पक्षकार बनाया गया, न उसे सुना गया, जबकि हस्तगत भूमि के संबंध में वाद विचाराधीन है, ऐसे में परोक्ष रूप से पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इस प्रकार समान भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य लम्बित वाद की स्थिति के दृष्टीगत न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी भी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का आवेदन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि विवादित भूमि के संबंध में वर्तमान पक्षकारान के मध्य एक वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया एवं न ही उसे पक्षकार बनाया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरार का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, विवादित भूमि के संबंध में लम्बित प्रकरण की वर्तमान स्थिति/स्थगन की जांच उपरान्त, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर